

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा, जिला पूर्व निमाड (म.प्र.)

जा.कं./...573./2025

खण्डवा, दिनांक-26.09.2025

:- आदेश :-

इस आदेश द्वारा माह अक्टूबर-2025 के समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवसों में रिमांड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को खंडवा/हरसूद/ पुनासा में उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथियों के लिये अधिकृत किया जाता है।

निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 04:00 से 05:00 बजे तक रिमांड एवं अत्यावश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य सम्पन्न करेंगे :-

क्रमांक	नाम व पदनाम	अवकाश दिनांक
जिला स्थापना खंडवा माह अक्टूबर-2025		
1.	श्री रविंद्र कुमार शिल्पी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	04.10.2025
2.	श्री राकेश भिडे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	23.10.2025
3.	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	03.10.2025
4.	श्री मोहित माधव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	20.10.2025
5.	श्रीमती वैशाली चौरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	21.10.2025 एवं 22.10.2025
6.	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	05.10.2025 एवं 26.10.2025
7.	श्री भरत दीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	19.10.2025
8.	श्री रविशंकर भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	01.10.2025 तथा 12.10.2025
9.	सुश्री अपेक्षा पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	18.10.2025 एवं 02.10.2025
तहसील स्थापना हरसूद		
10.	श्री सिद्धार्थ कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद	माह अक्टूबर के समस्त सार्वजनिक अवकाश

Thakur Prasad Mahariya
Chief Judicial Magistrate
Khandwa (M.P.)

तहसील स्थापना पुनासा/श्रृंखला न्यायालय मांघाता (ऑकारेश्वर)		
11.	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा	माह अक्टूबर के समस्त सार्वजनिक अवकाश

नोट:-

1. **माह अक्टूबर- 2025** में उक्त सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त किसी कारणवश कोई अवकाश दिवस घोषित होता है तो उक्त दिनांक को जिला मुख्यालय, खंडवा पर **श्रीमती वैशाली चौरसिया, न्या.मजि.प्र.श्रेणी खंडवा** के द्वारा, तहसील स्थापना हरसूद में **श्री सिद्धार्थ कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद जिला खंडवा** एवं तहसील पुनासा/मांघाता में **श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा जिला खंडवा** के अवकाश पर जाने या अन्य कारण से मुख्यालय पुनासा में उपस्थित न होने पर जिला मुख्यालय पर रिमांड ड्यूटी कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।
2. **श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा जिला खंडवा** के श्रृंखला न्यायालय मांघाता प्रवास पर रहने के दौरान उक्त अवधि में सार्वजनिक अवकाश में प्रस्तुत किए जाने वाले रिमांड तहसील न्यायालय पुनासा में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा उनके अवकाश पर रहने के दौरान उक्त अवधि में रिमांड जिला मुख्यालय पर रिमांड ड्यूटी कर रहे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।
3. उक्त दिनांक को संबंधित न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।
4. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्शित तिथियों को आवश्यक रिमांड ड्यूटी सम्पन्न करने में असमर्थ रहते हैं, तो वे अपने साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्शित तिथि को रिमांड ड्यूटी सम्पादन करने हेतु लिखित सहमति प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा को सूचित करेंगे। लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह दायित्व रहेगा कि वह लिखित सहमति अनुसार समायोजन कर नियत दिनांक को रिमांड ड्यूटी सम्पन्न करेंगे।
5. रिमांड ड्यूटी के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले अभियुक्तों के अधिवक्ता के संबंध में तत्काल जानकारी ली जावेगी एवं जिन अभियुक्तों को विधिक सहायता की आवश्यकता है, वह तत्काल उपलब्ध कराई जावेगी।
6. आकस्मिकता की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मौखिक आदेश से रिमांड ड्यूटी का कार्य संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जा सकेगा।



Approved
26/9/25
प्रधान न्यायाधीश
पूर्व निपात खंडवा (म.प्र.)

Sharma
(ठाकुर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-खंडवा म.प्र. 26/09/25

पुष्पांकन क्रं. 545/2025

खंडवा, दिनांक— 27.09.2025

- 1— कार्यालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खंडवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— माननीय विशेष न्यायालय, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा/पुनासा/हरसूद जिला खण्डवा सूचनार्थ प्रेषित।
- 5— प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा म.प्र.।
- 6— पुलिस अधीक्षक, खंडवा (म.प्र.) की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 7— वन मंडलाधिकारी, वन विभाग खंडवा म.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।
- 8— जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय, खंडवा म.प्र.
- 9— उप संचालक (अभियोजन), कार्यालय जिला अभियोजन, खंडवा को सूचनार्थ।
- 10— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खंडवा को सूचनार्थ।
- 11— सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
- 12— जे.एस.ए. जिला न्यायालय, खंडवा की ओर आदेश की प्रति ईमेल के माध्यम से उपरोक्त समस्त की ओर प्रेषित किये जाने बाबत।


ठाकुर प्रसाद मालवीय
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खंडवा (म.प्र.)

Email - dcourtkhhd-mp@nic.in

☎0733-2921001

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खंडवा म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक **2113** / एक-11-1 / 97

खंडवा, दिनांक **27** / 09 / 2025

आदेशानुसार:-

श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा की ओर माह अक्टूबर-2025 के सार्वजनिक अवकाश दिवसों में रिमांड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक 573/2025 खण्डवा, दिनांक 26.09.2025 अनुमोदन उपरांत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः सादर प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


जिला रजिस्ट्रार

 जिला न्यायालय, खण्डवा (म.प्र.)